मध्यप्रदेश शासन

प्रशासकीय प्रतिवेदन
वर्ष 2018-19

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

स्वरोजगार सम्मेलन
05 मार्च, 2019
इकबाल मैदान, भोपाल

Launch of
"JOBSINMP"
Portal
Sh. Arif Aqueel
Hon. Minister
Department of Micro, Small & Medium Enterprise,
hopal Gas Tragedy Relief and Rehabilitation Department,
Backward Classes and Minorities Welfare Department
Iqbal Maidan Bhopal
Date: 5th March 2019

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रशासकीय प्रतिवेदन

2018-19

अनुक्रमणिका

क्रमांक		अध्याय	पृष्ठ क्रमांक
01.	प्रभारी मंत्री एवं विभाग में पदस्थ प्रमुख पदाधिकारी/अधिकारी		01
02.	**भाग - एक**	विभागीय संरचना, अधीनस्थ कार्यालय/निगमों की सामान्य जानकारी, विशेषताए, महत्वपूर्ण सांख्यिकी	02-31
03.	**भाग - दो**	बजट विहंगावलोकन	32-33
04.	**भाग - तीन**	राज्य योजनाएँ एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	34-39
05.	**भाग - चार**	सामान्य प्रशासनिक विषय	40-48
06.	**भाग - पॉच**	अभिनव योजना	49-50
07.	**भाग - छः**	विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन	51-53
08.	**भाग - सात**	सारांश	54-55
09.	**भाग - आठ**	महिलाओं के लिए किए गए कार्य	56

विभाग का नाम
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

प्रभारी मंत्री	:	माननीय श्री संजय सत्येन्द्र पाठक (दिनांक 03.07.2016 से 11.12.2018 तक) माननीय श्री आरिफ अकील (दिनांक 28.12.2018 से निरन्तर)
प्रमुख सचिव	:	श्री व्ही. एल. कान्ता राव (दिनांक 02.08.2017 से 13.07.2018 तक) डॉ. राजेश राजौरा (दिनांक 13.07.2018 से 23.07.2018 तक) श्री पंकज अग्रवाल (दिनांक 23.07.2018 से 18.01.2019 तक) श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से निरंतर)
उप सचिव	:	श्री धनंजय सिंह भदौरिया (दिनांक 07.03.2017 से 12.09.2018 तक) श्री ललित दाहिमा (दिनांक 14.09.2018 से 22.02.2019 तक) श्री पर्वत सिंह (दिनांक 06.05.2016 से निरन्तर)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	:	श्री राजीव जैन (दिनांक 05.04.2016 से निरंतर)

विभागाध्यक्ष

उद्योग आयुक्त	:	श्री व्ही. एल. कान्ता राव (दिनांक 02.08.2017 से 13.07.2018 तक) डॉ. राजेश राजौरा (दिनांक 13.07.2018 से 23.07.2018 तक) श्री पंकज अग्रवाल (दिनांक 23.07.2018 से 18.01.2019 तक) श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से निरंतर)

म. प्र. राज्य लघु उद्योग निगम

अध्यक्ष	:	माननीय श्री बाबू सिंह रघुवंशी (दिनांक 26.03.2016 से 11.12.2018 तक)
प्रबंध संचालक	:	श्री व्ही. एल. कान्ता राव (दिनांक 02.08.2017 से 13.07.2018 तक) डॉ. राजेश राजौरा (दिनांक 13.07.2018 से 23.07.2018 तक) श्री पंकज अग्रवाल (दिनांक 23.07.2018 से 18.01.2019 तक) श्री के. सी. गुप्ता (दिनांक 18.01.2019 से निरंतर)

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

अध्यक्ष	:	श्री बी. एम. शर्मा (दिनांक 04.12.2017 से निरंतर)
सचिव	:	श्री पी. सी. वर्मा (दिनांक 01.03.2018 से निरंतर)

भाग - एक

विभागीय संरचना

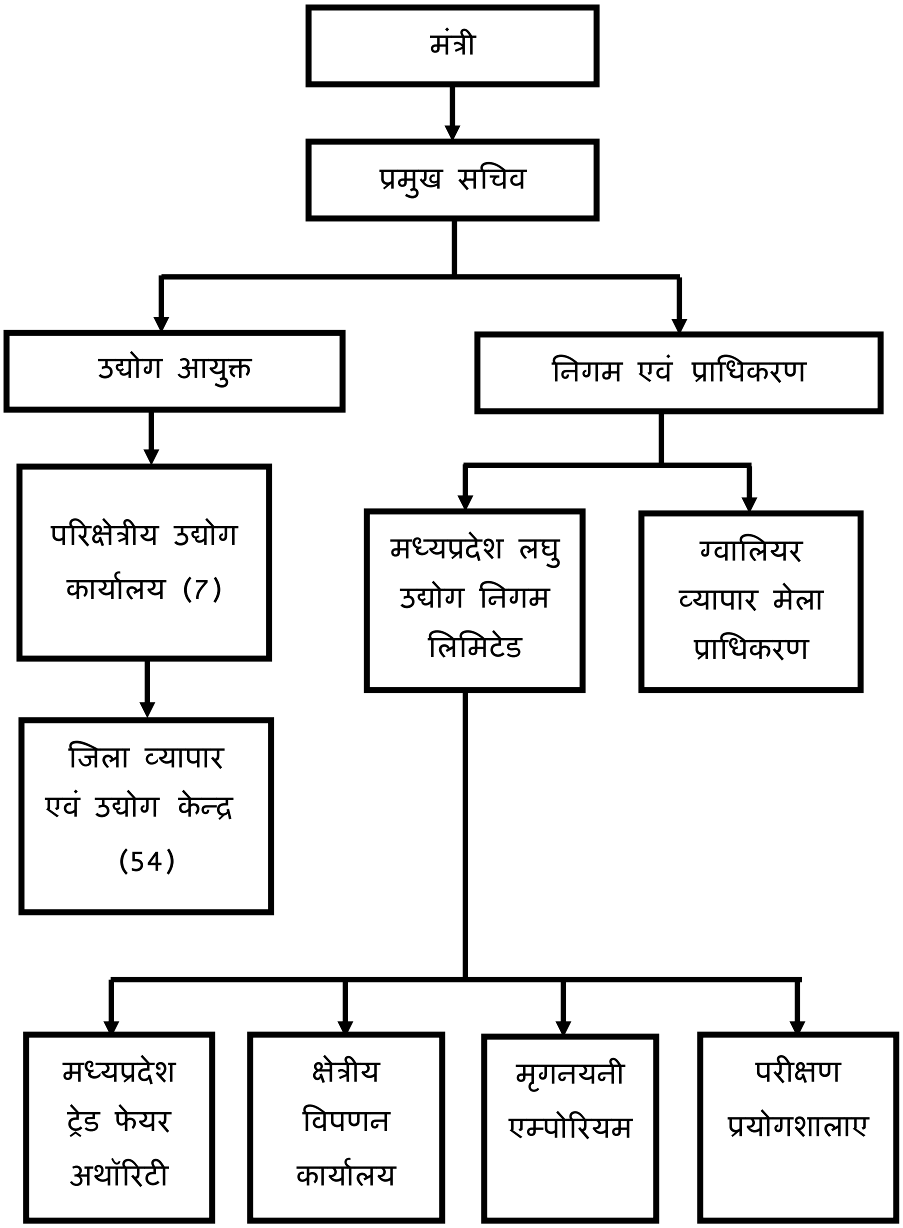

सामान्य जानकारी

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) आर्थिक विकास के इंजन के रूप में और समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए जाने जाते है। एमएसएमई को मजबूत करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) विभाग का गठन 5 अप्रैल, 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के गठन का लक्ष्य एमएसएमई के लिए ऐसी नीतियां बनाना है, जो कि उन्हें विकसित करने के साथ-साथ सक्षम भी बनाए। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की मदद से एमएसएमई मध्य प्रदेश में सामाजिक-आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने का कार्य करते है। ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देकर विभाग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ-साथ सामान्य ग्रामीण लोगों और विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करता है। विभाग एमएसएमई को ऋण, प्रौद्योगिकी तथा स्थानीय एवं वैश्विक बाजार तक की पहुँच प्रदान करता है। एमएसएमई को न्यूनतम साझा सुविधा प्रदान करने के लिए विभाग क्लस्टरो का विकास भी करता है। स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से विभाग युवाओं को प्रोत्साहित करता है, ताकि वह अपने गृह शहर/गांव में अपने उद्यम स्थापित कर सके।

2. **विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक विभागाध्यक्ष हैं :-**

    (1) उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश

3. वर्तमान में विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अंतर्गत एक सार्वजनिक उपक्रम तथा एक प्राधिकरण निम्नानुसार है :-

    (1) मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

    (2) ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

4. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम का अधिनियम

- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 का मुख्य उद्देश्य प्रतिस्पर्धात्मक तरीके से लघु एवं मध्यम उद्यमों की उन्नति और विकास में मदद करना है।

- उद्योग के साथ-साथ सर्विस सेक्टर को भी मान्यता देते हुए उद्योग के स्थान पर उद्यम की परिभाषा, सूक्ष्म उद्यम हेतु स्पष्ट प्रावधान।
- आर्थिक स्तर पर उपलब्धियों के अनुरूप मध्यम उद्यमों को परिभाषित करना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों द्वारा प्रदत्त सेवाओं और माल की खरीद के लिए वैधानिक अधिकार उपलब्ध कराना।
- सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान को सुदृढ़ करना।
- राष्ट्रीय सूक्ष्म एवं लघु उद्यम बोर्ड को वैधानिक आधार प्रदान करना।
- लघु उद्योगों के लिए जटिल व दोहरी पंजीकरण प्रक्रिया के स्थान पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए वैकल्पिक विवरण पत्रक भरने की व्यवस्था।
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का वर्गीकरण - प्लांट एवं मशीनरी/उपकरणों (भूमि एवं भवन को छोड़कर) में पूँजीवेष्ठन के अधिकतम सीमा के आधार पर विनिर्माण (मैन्युफेक्चरिंग) तथा सेवा (सर्विस) उद्यम को वर्गीकृत किया गया है। वर्गीकरण निम्नानुसार हैं:-

वर्गीकरण	**मैन्यूफैक्चरिंग पूँजीवेष्ठन सीमा**	**सर्विस सेक्टर पूँजीवेष्ठन सीमा**
सूक्ष्म उद्यम	रू. 25 लाख तक	रू. 10 लाख तक
लघु उद्यम	रू. 25 लाख से अधिक व रू. 5 करोड़ तक	रू. 10 लाख से अधिक व रू. 2 करोड़ तक
मध्यम उद्यम	रू. 5 करोड़ से अधिक व रू. 10 करोड़ तक	रू. 2 करोड़ से अधिक व रू. 5 करोड़ तक

5. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की गतिविधियाँ

- म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 (1 अप्रेल, 2018 से प्रभावशील) का क्रियान्वयन।
- उद्योग संवर्धन नीति (एमएसएमई से संबंधित भाग) का क्रियान्वयन।
- मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन और स्टार्टअप नीति 2016 का क्रियान्वयन।
- नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर, प्रदेश प्रशासन को "उद्योग मित्र" (Industry Friendly) बनाना।
- औद्योगीकरण को गति प्रदान कर प्रदेश को औद्योगिक दृष्टि से अग्रणी बनाना।
- एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित कर रोजगार के अवसर सृजित करना।
- उद्योगों में रुग्णता दूर करने के लिए विशेष कार्यक्रम बनाना।
- विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओं को समन्वित कर रोजगार के निरंतर अवसर उपलब्ध कराना।

6. नीति, नियमों, आदेशों व निर्देशों का अंगीकरण

विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 16.08.2016 द्वारा विभाग की पृथक नीति, नियम, आदेश व निर्देश जारी होने तक तत्समय वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश व निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग) द्वारा अंगीकृत किये गये है।

7. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017

7.1 राज्य शासन द्वारा रोजगार सृजन, समावेशी विकास, एक सक्रिय नीति एवं विनियामक वातावरण बनाने, स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करने और इनके माध्यम से राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई है, जो 1 अप्रेल, 2018 से प्रभावशील होगी। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान

करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" लागू की गई है। नीति में प्रावधानित सहायता/सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को 70 प्रतिशत रोजगार म. प्र. के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य है।

7.2 म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 अंतर्गत एमएसएमई हेतु सहायता/अनुदान :

(i) **उद्योग विकास अनुदान** - सूक्ष्म, लघु और मध्यम विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये निवेश का 40% उद्योग विकास अनुदान के रूप में 5 समान वार्षिक किश्तों में प्रदान किया जाएगा।

(ii) **इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता** - यदि निवेशक मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम की स्थापना हेतु निजी भूमि क्रय करता है या अविकसित शासकीय भूमि शासन से प्राप्त करता है तो ऐसी इकाइयों को राज्य शासन द्वारा इकाई परिसर तक पानी, सड़क और बिजली के अधोसंरचना विकास में किये गये व्यय का 50% वित्तीय सहायता, अधिकतम रुपये 25 लाख प्रदान की जाएगी।

(iii) **अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता** - औद्योगिक इकाईयों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) की स्थापना में निवेश के लिये 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रुपए प्रदान की जाएगी।

(iv) **निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता** - पूर्व अनुमति प्राप्त कर संस्था/ऐजेन्सी/निवेशक द्वारा निजी औद्योगिक क्षेत्र/ बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/विकास हेतु व्यय की गई राशि का 20 प्रतिशत अधिकतम रू. 2 करोड़ की सहायता प्रदान की जाएगी। विकसित औद्योगिक क्षेत्र का क्षेत्रफल कम से कम 5 एकड़ या बहुमंजिला औद्योगिक परिसर का कारपेट क्षेत्र कम से

कम 10000 वर्ग फीट होना आवश्यक है और इनमें कम से कम पांच औद्योगिक इकाईयां कार्यरत होना चाहिए।

(v) **अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति** नई औद्योगिक इकाइयों, जिनमें 10 से अधिक नियमित कर्मचारियों के सीपीएफ में प्रति कर्मचारी अधिकतम 1000 रूपये नियोक्ता के अंश के रूप में जमा किये जा रहें हों, तो ऐसे सभी कर्मचारियों के नियोक्ता के अंश की शत प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष की अवधि के लिये या अधिकतम रू. 5 लाख (इनमें से जो भी कम हो) प्रदान की जाएगी।

(vi) **गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति** - गुणवत्ता प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु किए गए व्यय का 50%, अधिकतम रू. 3 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(vii) **पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति** - राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय नियम/कानून के अन्तर्गत शोध एवं अनुसंधान के आधार पर विकसित किये गये उत्पादों/उत्पादन प्रक्रियाओं का पेटेंट/आईपीआर कराने पर हुए व्यय का शतप्रतिशत, अधिकतम राशि रू. 5 लाख की प्रतिपूर्ति राज्य शासन द्वारा की जाएगी।

(viii) **पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता** - भारत सरकार की INSITU अपग्रेडेशन योजना के तहत पॉवरलूम का उन्नयन करने के लिए किये गये व्यय में से, भारत सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के समायोजन के पश्चात, शेष राशि का शत-प्रतिशत या उन्नयन लागत का 25%, जो भी कम हो, अधिकतम 8 पॉवरलूम प्रति इकाई सहायता प्रदान की जाएगी।

8. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016

8.1 भारत सरकार के 'स्टार्टअप इंडिया' विजन के साथ तालमेल रखते हुये एक अनुकूल, अभिनव और तकनीकी उद्यमी परिस्थितिकी तंत्र की परिकल्पना को साकार करने हेतु 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं

स्टार्टअप नीति 2016' के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा स्टार्टअप संस्कृति को पोषित और बढ़ावा दिया जा रहा है।

8.2 'म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016' अंतर्गत एमएसएमई हेतु प्रमुख सहायता/अनुदान

अ. इन्क्यूबेटरों को प्रोत्साहन

i. पूंजी अनुदान
ii. संचालन सहायता
iii. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीयन
iv. सलाह हेतु सहायता
v. स्टार्टअप प्रतियोगिता सहायता

ब. स्टार्टअप/उद्यमियों को प्रोत्साहन

i. ब्याज अनुदान
ii. लीज़ किराया अनुदान
iii. पेटेंट/गुणवत्ता संवर्धन अनुदान
iv. स्टार्टअप विपणन सहायता
v. क्रेडेंशियल विकास सहायता

9. लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड

9.1 प्रदेश के एमएसएमई के संवर्धन हेतु परामर्श एवं सुझाव, उद्योग संवर्धन नीति पर सुझाव तथा उद्योगों में आने वाली कठिनाईयों के निराकरण के लिए राज्य स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया था। शासन आदेश दिनांक 20 फरवरी, 2018 से बोर्ड का पुर्नगठन किया गया है। माननीय मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग बोर्ड के अध्यक्ष है और एमएसएमई से जुड़े विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों को बोर्ड में सदस्य बनाया गया है।

9.2 राज्य शासन द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय लघु उद्योग संवर्धन बोर्ड का गठन किया गया है।

10. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल

सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों में भुगतान में विलम्ब को रोकने के लिये "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" की धारा 30 एवं 21 के अंतर्गत राज्य में सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल का गठन करने का प्रावधान है। राज्य शासन द्वारा "सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के अध्याधीन, मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2006 दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को अधिसूचित किये गये थे तथा फैसिलिटेशन काउन्सिल के गठन की अधिसूचना दिनाँक 10 जनवरी, 2007 को जारी कर दी गई थी। फेसिलिटेशन काउंसिल ने जुलाई 2007 से बैठकें प्रारंभ की है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 24.11.2017 से मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल के कार्यकरण को सुविधायुक्त बनाने के लिए नवीन मध्यप्रदेश सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल नियम 2017 जारी किये गये है। सूक्ष्म और लघु उद्यम हेतु भारत सरकार, एमएसएमई मंत्रालय एवं औद्योगिक संघों द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित सेमिनार में प्रदेश की काउन्सिल को दो साल की उपलब्धियों एवं वसूली प्रक्रिया के लिये विशेष पुरूस्कार प्रदान किया गया।

11. मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015

मध्यप्रदेश राज्य में औद्योगिक अविकसित भूमि, औद्योगिक क्षेत्र की विकसित एवं विकसित की जाने वाली भूमि एवं औद्योगिक भवनों के प्रबंधन हेतु "मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015" दिनांक 01 अप्रेल, 2015 से लागू किया गया है। राज्य शासन के आदेश दिनांक 20.10.2016 द्वारा नियमों में संशोधन कर उनका सरलीकरण किया गया है।

12. म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015

शासकीय क्रय में कार्यकुशलता, समयबद्धता, मित्तव्ययिता, पारदर्शिता एवं प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के साथ-साथ प्रदेश के सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य शासन, शासकीय विभाग एवं उनके घटकों द्वारा सामग्री एवं सेवा उपार्जन हेतु म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम - 2015 दिनांक 28 जुलाई, 2015 से लागू किया गया है। राज्य

शासन के आदेश दिनांक 05.09.2018 द्वारा नियमों में संशोधन कर म. प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की गई है।

13. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभागीय सेवाएं

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत विभाग की छः सेवाए यथा एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति, वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से निर्णीत कराना, अधिसूचित की गई है। साथ सेवाओं को प्रदान करने हेतु प्रक्रिया भी जारी की गई है।

14. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), भोपाल

सीपेट, भोपाल को भारत सरकार से उनकी परियोजना हेतु अधोसंरचना, मशीनरी एवं उपकरण हेतु सहायता प्राप्त हो रही है। यह सहायता, केन्द्र सरकार अंश 50 प्रतिशत, राज्य सरकार अंश 50 प्रतिशत के आधार पर प्राप्त होती है। नये शैक्षणिक भवन एवं बालक छात्रावास के निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में सहायता प्रदान की गई है।

15. सेण्ट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी (सीपेट), वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर, ग्वालियर

भारत सरकार की परियोजना अंतर्गत रू. 40.10 करोड़ की लागत से ग्वालियर में वोकेशन ट्रेनिंग सेण्टर स्थापित किया गया है, जिसमें नवंबर, 2016 से अस्थायी भवन में प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। राज्य शासन द्वारा इस सेण्टर हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। परियोजना अंतर्गत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार अंश 50-50 प्रतिशत है। वोकेशनल ट्रेनिंग सेण्टर के भवन निर्माण हेतु वर्ष 2018-19 में सहायता प्रदान की गई है।

16. **स्वरोजगार योजनाएं**

राज्य शासन द्वारा आदेश द्वारा स्वरोजगार योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत महिला स्वसहायता समूहों तथा महिला स्वसहायता समूह फेडरेशन के द्वारा इकाई स्थापना के लिये सहायता का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत परियोजना लागत की सीमा को घटाकर 50 हजार किया गया तथा कृषि आधारित परियोजनाओं के साथ-साथ उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय से संबंधित सभी प्रकार की परियोजनाओं को इस योजना अंतर्गत मान्य किया गया। साथ ही योजनान्तर्गत मार्जिन मनी एवं ब्याज अनुदान के प्रावधान को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अनुरूप किया गया।

प्रदेश में विकसित हो रहे स्टार्टअप को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिये मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में स्टार्टअप के लिये घटक का प्रावधान किया जाकर स्टार्टअप के लिये आय सीमा का बंधन समाप्त किया गया। साथ ही विभाग द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत परिवहन की परियोजनाओं पर लगे हुये प्रतिबंध को शिथिल किया गया है।

17. **पॉवरलूम बुनकरों को विद्युत अनुदान**

विभाग द्वारा 150 अश्वशक्ति तक के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को रियायत रियायती दरों पर विद्युत का प्रदाय करवाई जाती है। ऊर्जा विभाग द्वारा प्रदेया के पॉवरलूम उपभोक्ताओं को 1.25 रूपये प्रति युनिट की दर से छूट प्रदान कर रियायती दर पर विद्युत प्रदाय की जाती है एवं विभाग द्वारा कुल छूट की राशि की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विभाग को की जाती है।

18. विभाग द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश की एमएसएमई में रोजगार उपलब्ध कराने हेतु एक ऑनलाईन प्लेटफार्म, **jobsinmp.mpmsme.gov.in** विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जहाँ एक ओर प्रदेश की एमएसएमई को उपयुक्त मानव संसाधन उपलब्ध होंगे वही दूसरी ओर प्रदेश के बेरोजगारों को प्रदेश में ही रोजगार प्राप्त होगा।

19. प्रदेश में एमएसएमई हेतु पृथक विभाग का गठन होने से प्रदेश के औद्योगीकरण में गति तथा रोजगार सृजन बढ़ा है, जिससे प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में तेजी से सकारात्मक बदलाव आया है। प्रदेश में उद्योग लगाने हेतु प्रदेश के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एमएसएमई मंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न आयोजन स्थल पर उद्योगपतियों के साथ विचार विमर्श कर उन्हें प्रदेश में उद्योग नीतियों व औद्योगिक संभावनाओं की जानकारी प्रदान कर प्रदेश में उद्योग स्थापनार्थ आमंत्रित किया गया है।

<u>उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश</u>

क. दायित्व

- मध्यप्रदेश के समग्र आर्थिक विकास में औद्योगीकरण एवं व्यापार संवर्धन के माध्यम से योगदान देना।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों एवं सहायक औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।
- प्रदेश में इंक्यूबेटरों व स्टार्टअप का पोषण एवं बढ़ावा देना।
- युवा उद्यमिओं को उद्यम की स्थापना हेतु ऋण उपलब्ध करवाना।
- विभिन्न स्वरोजगार मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन द्वारा रोजगार के अवसरों का सृजन।
- निर्यात वृद्धि के लिए उत्प्रेरक एवं सहायक की भूमिका निभाना।
- प्रदेश में स्थित पावरलूम उद्योगों का विकास एवं पावरलूम औद्योगिक इकाइयों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन देना।

ख. सामान्य जानकारी

मध्यप्रदेश में प्रभावी व गतिशील औद्योगीकरण की दिशा में उद्योग संचालनालय द्वारा उद्योगों की स्थापना व उसके संचालन को सरल व सहज बनाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही विनिर्माण एमएसएमई की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु जिला कार्यालयों के माध्यम से एमएसएमई विकास नीति 2017

अंतर्गत अनुदान प्रदान करने का कार्य भी संचालनालय द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार संचालनालय द्वारा प्रदेश के बेरोजगारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 अंतर्गत सेवाओं को सम्मिलित कर कार्य में पारदर्शिता लाई गई है।

ग. एमएसएमई का विकास

- <u>सम्मेलन/वर्कशॉप का आयोजन</u>

  एमएसएमई के विकास हेतु प्रदेश के जिला मुख्यालयों में जिलों की एमएसएमई इकाईयों के स्वामियों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों और स्वरोजगार योजनांतर्गत लाभांवित हितग्राहियों की सहभागिता से सममेलन/वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, जिसमें एमएसएमई के उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई गई और उद्यम को आगे ले जाने के संबंध में एवं एमएसएमई से जुड़े विषयों पर जानकारी प्रदान की गई।
- <u>क्लस्टर</u> - भारत सरकार की क्लस्टर योजना के अंतर्गत प्रदेश में निम्नलिखित आठ प्रस्तावों पर भारत सरकार से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त हुआ है :-

<u>सामान्य सुविधा केन्द्र (CFC) के प्रस्ताव</u>

1. जबलपुर मिष्ठान एवं नमकीन क्लस्टर, जबलपुर
2. एग्रीकल्चर इमप्लीमेंट्स क्लस्टर, खुरई, सागर
3. इंजीनियरिंग क्लस्टर गोविंदपुरा, भोपाल

<u>अधोसंरचना के प्रस्ताव</u>

1. एग्रोबेस्ड फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, सनावद, खरगौन
2. लाख क्लस्टर, आकोड़ी, बालाघाट
3. फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, कचनारिया, राजगढ़
4. इलेक्ट्रिकल एवं मैकेनिकल क्लस्टर, चोर डोंगरी, बैतुल
5. फ्लेटेड इण्डस्ट्रीयल स्टेट क्लस्टर, गुना

* <u>टेक्नालॉजी सेण्टर एवं एक्सटेंशन सेण्टर</u>
  जबलपुर में 01 टेक्नालॉजी सेण्टर एवं 8 जिलों यथा छिंदवाड़ा, ग्वालियर, खरगौन, रतलाम, सागर, सतना, सिंगरौली एवं शहडोल में एक्सटेंशन सेण्टर हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की ओर प्रेषित किये गये है।

घ. लैण्ड बैंक एवं औद्योगिक क्षेत्रों का विकास

* प्रदेश में उपलब्ध औद्योगिक प्रयोजन हेतु उपयुक्त शासकीय भूमियों का एक लैण्ड बैक बनाया गया है, जिससे उद्यमिओं को आकर्षित कर उद्यम स्थापित किये जा सकें। मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश में एमएसएमई की स्थापना के लिये दृढ़ संकल्पित है। वर्तमान में प्रदेश में 186 औद्योगिक क्षेत्र स्थापित है। इनके साथ-साथ अनेक अविकसित भूमियों को चिन्हित किया जाकर उन्हें विकसित किया जा रहा है।
* प्रदेश के अनुपपूर जिलें में कदमटोला, उमरिया में बडवार, शिवपुरी जिलें में करेरा, उज्जैन जिलें में फर्नाखेड़ी, डिण्डोरी जिलें में कोहका, बैतुल जिलें में मोही एवं अलीराजपुर में सेजवाड़ा में नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जा रहे है। इस हेतु वर्ष 2018-19 में 3909.76 लाख रूपये व्यय किये गये है।

च. एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल

एमएसएमई इकाईयों को शासन की नीतियों पर मार्गदर्शन, सुविधा एक स्थान पर प्रदान करने हेतु एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल का गठन किया गया है। उद्योग संचालनालय, म.प्र. में एमएसएमई फेसिलिटेशन सेल (हब) 1 मार्च, 2017 से प्रारंभ हो गया है। इस फेसिलिटेशन सेल में 20 कंसलटेंट कार्य कर रहे है तथा उद्योग संचालनालय, म. प्र. में इन कंसलटेंट के मार्गदर्शन हेतु विषय विशेषज्ञों का 'हब' बनाया गया है। इन कंसलटेंट को 20 जिलों में पदस्थ किया गया है और आस-पास के जिलों का दायित्व इन्हें दिया गया है। यह सुनिश्चित किया गया है कि एक माह में सभी जिलों में इनकी पूर्व निर्धारित बैंठके एमएसएमई के साथ आयोजित हो। इस प्रकार सभी 51 जिलें इन कंसलटेंट को आवंटित कर सभी जिलों में 'एमएसएमई बिजनेस फेसिलिटेशन सेण्टर' स्थापित कर इनके जरिए फेसिलिटेशन का कार्य किया जा रहा है।

छ. स्वरोजगार योजनाएं

- **<u>मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना</u> :-** प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 10 लाख से अधिकतम रुपये दो करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है। योजना में बीपीएल आवेदक एवं महिलाओं को अतिरिक्त सहायता का प्रावधान है।
- **<u>मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना</u> :-** प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्वयं का उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना दिनांक 01.08.2014 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 10 लाख तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।
- **<u>मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना</u> :-** प्रदेश के किसानों के पुत्र/पुत्रियों को उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि परियोजनाओं पर आधारित अपना उद्यम स्थापित करने हेतु बैंक से सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना दिनांक 16.11.2017 से प्रारंभ की गई है। योजना अंतर्गत परियोजना लागत न्यूनतम रुपये 50 हजार से अधिकतम रुपये 2 करोड़ तक है। योजना के प्रावधान अनुसार आवेदक का परिवार पहले से उद्योग/व्यापार क्षेत्र में स्थापित नहीं होना चाहिए और

आवेदक स्वयं आयकरदाता नहीं होना चाहिए। योजनांतर्गत हितग्राहियों को मार्जिनमनी सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाता है।

- **<u>प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम</u>** :- भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को समन्वित कर प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। राष्ट्र स्तर पर योजना की नोडल एजेन्सी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। प्रदेश स्तर पर योजना का संचालन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड व जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा किया जाता है। कार्यक्रम अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को उद्योग के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 25 लाख तथा सेवा/व्यवसाय के लिये अधिकतम परियोजना लागत रू. 10 लाख हेतु ऋण बैंक के माध्यम से प्रदान किया जाता है। उद्योग क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 10 लाख से अधिक होने पर और सेवा क्षेत्र की परियोजना में परियोजना लागत रू. 5 लाख से अधिक होने की स्थिति में, आवेदक का न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। योजनांतर्गत हितग्राहियों को शहरी व ग्रामीण के आधार पर मार्जिनमनी सहायता का लाभ दिया जाता है।

ज. सूचना प्रौद्योगिकी कार्य

प्रदेश के उद्यमियों को ऑनलाईन सेवाए व जानकारी प्रदान करने हेतु राशि रू. 626.27 लाख की परियोजना लागत से ऑफिस ऑटोमेशन का कार्य वर्ष 2015-16 में प्रारंभ किया गया है, जो वर्ष 2020-21 तक पूर्ण होगा। प्रथम तीन वर्षो में साफ्टवेयर का विकास, प्रशिक्षण एवं बैकलॉग डाटा एंट्री का कार्य और शेष तीन वर्षो में विकसित साफ्टवेयर के रखरखाव का कार्य मैप-आईटी द्वारा किया जावेगा। उक्त परियोजना के तहत विभागीय वेबसाईट mpmsme.gov.in (हिन्दी URL : एमपीएमएसएमई.सरकार.भारत) विकसित कर प्रारंभ की गई है। वेबसाइट जी.आई.जी.डब्ल्यू. मापदंडो के अनुरूप विकसित की गई है। विभागीय सुविधाऍं चरणबद्ध रूप से उद्यमियों को ऑनलाईन प्रदान की जा रही है, जिससे विभागीय

कार्यप्रणाली में पारदर्शिता बढ़ गई है। उक्त के साथ-साथ एमआईएस प्रणाली भी विकसित की जा रही है। पहले चरण में स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन ऑनलाईन प्राप्त किये जा रहे है। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि का आवंटन तथा शुल्क का भुगतान शत-प्रतिशत ऑनलाईन किया गया है। इकाईयों को अनुदान प्रदान करने हेतु आवेदन सिंगल विण्डो अंतर्गत सेवाओं में शामिल कर ऑनलाईन किये गये है। साथ ही एमएसएमई अवार्ड हेतु ऑनलाईन एप्लीकेशन एवं एमएसईएफसी के अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रकरणों का ऑनलाईन मैनेजमेंट प्रारंभ किया गया है। विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के एनआईसी अंतर्गत ई-मेल पते बनाए गए है और उन्हें विकसित साफ्टवेयर के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया है।

झ. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप

- प्रदेश को स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग के अंतर्गत लीडर स्टेट के रूप में भारत सरकार द्वारा दिसम्बर, 2018 में मान्यता दी गई है।
- 19 जुलाई, 2018 से 03 अगस्त, 2018 के मध्य स्टार्टअप यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा के अंतर्गत 08 बूट कैम्प व 13 वैन स्टॉप्स के माध्यम से लगभग 3000 विद्यार्थियों/नव उद्यमियों से संपर्क किया गया। 427 नए आयडिया समक्ष में आये, जिनमें से 110 स्टार्टअप के रूप में विकसित करने हेतु इंक्यूबेशन ऑफर दिये गये।
- प्रदेश में 17 इंक्यूबेशन सेण्टर कार्यरत है, जिसकी जानकारी विभागीय वेबसाईट पर स्टार्टअप की सुविधा हेतु उपलब्ध कराई गयी है। साथ ही प्रदेश में 31 मार्च, 2019 तक लगभग 450 स्टार्टअप पंजीकृत किये गये है।
- संपूर्ण वर्ष में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिये प्रदेशभर में लगातार कार्यशालाएं एवं अन्य कार्यक्रम आयोजित किये गये है।
- महिलाओं द्वारा संचालित स्टार्टअप को विशेष सुविधा दिए जाने हेतु प्रावधान किये गये है।

ट. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण

प्रदेश के अशोकनगर एवं पन्ना जिलों में स्थित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया गया है। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों झाबुआ, उमरिया, बालाघाट, एवं सिंगरौली के भवनों का निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

ठ. उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश की महत्वपूर्ण सांख्यिकी

- **उद्यमों की स्थापना** :-

  - ❖ वर्ष 2018-19 में कुल 2,97,595 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम पंजीकृत हुये, जिसमें रू. 19284.97 करोड़ का पूंजी निवेश हुआ है तथा प्रत्यक्ष रूप से 1030084 व्यक्तियों को रोजगार मिला हैं।
  - ❖ प्रदेश में वर्ष 2013-14 सें 2017-18 तक वर्षवार पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, पूँजी निवेश एवं रोजगार की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	संख्या	पूँजी निवेश (रू. करोड़ में)	रोजगार
1	2013-14	18660	612.56	44924
2	2014-15	19835	750.04	51571
3	2015-16	48179	5171.75	194761
4	2016-17	87071	9547.32	363812
5	2017-18	206142	14401.67	596990

- **स्वरोजगार योजनाए** :-

  - ❖ मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में भौतिक लक्ष्य 1200 के विरूद्ध 1194 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 1060 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि रू. 168.59 करोड़ वितरित की गई।
  - ❖ मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में भौतिक लक्ष्य 22000 के विरूद्ध 24489 प्रकरण स्वीकृत हुए एवं 22886 प्रकरणों में वित्तीय सहायता राशि रू. 258.42 करोड़ वितरित की गई।

- ❖ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2018-19 में वित्तीय लक्ष्य रू. 49.08 करोड़ के विरूद्ध सहायता राशि रू. 57.00 करोड़ वितरित की गई।
- ❖ मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना अंतर्गत वर्ष 2018-19 में 379 हितग्राहियों को परियोजना राशि रू. 46.83 करोड़ के प्रकरणों में लाभांवित किया गया।

- **<u>शासकीय भूमि का हस्तातंरण</u> :-**

प्रदेश में एमएसएमई हेतु नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के आधार पर माह अप्रेल, 2018 से माह मार्च, 2019 तक निम्नानुसार शासकीय भूमि राजस्व विभाग से हस्तांतरित कराई गई:-

क्र.	जिला	ग्राम	भूमि (रकबा हे. में)	हस्तांतरण आदेश दिनांक
1	जबलपुर	मोहनिया	4.800	29.09.2018
2	बैतुल	उह्दल	8.782	26.10.2018
		योग	**13.582**	

- **<u>उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम</u> :-**

प्रदेश के दूरस्थ अंचल के युवाओं को उद्यमिता को समझाने तथा घर से हीं उद्यमियों को सीखने की सुविधा प्रदान करने हेतु केन्द्रीय संस्थान 'NIMSME (निम्समें) हैदराबाद' के सहयोग से ऑनलाईन उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की एप्लीकेशन तैयार की गई है। यह एप्लीकेशन नि:शुल्क है एवं कोई भी उद्यमी कहीं से भी इस एप्लीकेशन के माध्यम से उद्यमिता प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण करने के उपरांत उद्यमी को ऑनलाईन प्रमाण-पत्र भी प्राप्त होता है।

- **<u>सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउंसिल</u> :-**

वर्ष 2018-19 में काउन्सिल की 10 बैठकें आयोजित की गईं। विगत वर्ष के लंबित 245 प्रकरण एवं 2018-19 में प्राप्त 67 प्रकरण, कुल 312 प्रकरण काउन्सिल के समक्ष विचारार्थ रखें गये। इनमें से 14 प्रकरण अस्वीकार किये गये तथा 52 प्रकरणों में कुल राशि रू. 17.52 करोड़ के समझौता आदेश/अवार्ड पारित किये गये हैं। शेष 246 प्रकरण 31 मार्च, 2019 की स्थिति में काउन्सिल के समक्ष विचाराधीन थे।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

(अ) निगम की संरचना :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शासकीय कम्पनी के रूप में दिनांक 28 दिसम्बर, 1961 को किया गया था। वर्तमान में निगम की अधिकृत अंशपूंजी रू. 500.00 लाख है एवं इसके विरूद्ध प्रदत्त अंशपूंजी रू. 282.75 लाख है। प्रदत्त अंशपूंजी में रू. 267.75 लाख राज्य शासन के तथा रू. 15.00 लाख विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) भारत शासन द्वारा निगम में वेष्ठित हैं। शासन आदेश के अनुरूप निगम द्वारा रू. 282.75 लाख में से रू. 72.45 लाख का निवेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम, जो कि निगम की सहायक कम्पनी है, की अंशपूंजी में किया गया है।

(ब) निगम के मुख्य उद्देश्य :-

(i) शासकीय विभागों हेतु उनकी आवश्यकताओं के उत्पादों का उपार्जन:- म.प्र. भण्डार क्रय नियमों के अन्तर्गत प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के विपणन की व्यवस्था करना तथा शासकीय/अर्धशासकीय विभागों/उपक्रमों को उचित गुणवत्ता की सामग्री का प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर प्रदाय करवाना।

(ii) प्रदेश के हस्तशिल्पियों, हाथकरघा एवं लघु उद्योग इकाईयों को मृगनयनी म. प्र. एम्पोरियमों के माध्यम से विपणन सुविधा प्रदान करना।

(iii) कच्चे माल की आपूर्ति।

(iv) उद्योगों को परीक्षण सुविधाऐं उपलब्ध कराना।

(v) बिजनेस डेव्लपमेंट सेल के अंतर्गत ई-टेंडिरिंग तथा इकाईयों को कोयले का वितरण।

(vi) निर्माण कार्य।

(स) निगम की गतिविधियॉं :-

निगम द्वारा उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निम्न गतिविधियां संचालित की जाती हैं:-

(1) <u>विपणन गतिविधि</u> :-

मध्यप्रदेश शासन द्वारा ज्ञापन क्रमांक एफ-14/2012/अ-ग्यारह, दिनांक 28.07.2015 से म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम, 2015 लागू किया गया है, जिसके नियम 6 के अन्तर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम को उपार्जनकर्ता अभिकरण मनोनीत किया जाकर 39 वस्तुओं को निगम के माध्यम से क्रय हेतु आरक्षित किया गया था। शासन के आदेश क्रमांक एफ 6-9/2012/अ-तेहत्तर, दिनांक 05-09-2018 द्वारा भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 में संशोधन कर निगम के माध्यम से क्रय हेतु सामग्री आरक्षण की व्यवस्था समाप्त की गई है। इन नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत निगम हेतु अनारक्षित सामग्री के प्रदाय का प्रावधान है। निगम के माध्यम से वर्तमान में शासकीय विभागों को उनकी मांग के अनुसार सामग्री का प्रदाय किया जा रहा है।

निगम द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट मांग के दृष्टिगत साईकिलों के उपार्जन की कार्यवाही GeM पोर्टल पर सम्पादित की गई। GeM पोर्टल पर साईकिल के दर निर्धारण हेतु निगम द्वारा ई-बिडिंग की कार्यवाही की गई। ई-बिडिंग में प्राप्त दरों के आधार पर दर निर्धारण की कार्यवाही की जाकर GeM पोर्टल पर 591406 नग साईकिलों के प्रदाय हेतु

प्रदायादेश जारी किये गये, जारी किये गये प्रदायादेशों का कुल मूल्य रू. 199.69 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में माह मार्च-2018 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 802.00 करोड़ के समक्ष रू. 842.72 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस गतिविधि के अन्तर्गत माह मार्च, 2019 तक रू. 802.00 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 841.82 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। प्रदेश की SME के विकास हेतु निगम द्वारा जारी की जा रही राज्य स्तरीय निविदाओं में टर्न ओव्हर में छूट दी गई है।

(2) एम्पोरियम गतिविधि :-

निगम द्वारा इस गतिविधि के अंतर्गत प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर एम्पोरियमों का संचालन करके प्रदेश के बुनकरों, हस्तशिल्पियों एवं लघु उद्योगों के विभिन्न उत्पादों का विक्रय किया जाता है। वर्तमान में निगम द्वारा प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर एवं रीवा में तथा प्रदेश के बाहर नई दिल्ली एवं कोलकाता में एम्पोरियमों का संचालन किया जा रहा है। निगम के एम्पोरियमों द्वारा समय-समय पर प्रदर्शनी/सेल आयोजित करके बुनकरों एवं शिल्पियों के उत्पादों का विक्रय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही निगम द्वारा देश एवं विदेश में विभिन्न स्थानों पर आयोजित ट्रेड फेयर एवं प्रदर्शनियों में भाग भी लिया जाता है। एम्पोरियम विभाग द्वारा ऑन लाईन शांपिग हेतु पोर्टल www.mrignayani.com भी संचालित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 42.98 करोड़ के समक्ष रू. 33.04 करोड़ का व्यवसाय हुआ है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 37.72 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 28.62 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

<u>मेला प्रदर्शनी का आयोजन</u> :-

अ. निगम द्वारा एम्पोरियमों की इस श्रृखला में हस्तशिल्पियों एवं हाथकरघा के उत्पादों को पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया जाकर तथा राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी एवं शिल्प बाजारों का आयोजन कर प्रदेश की कला को प्रदर्शित किया जाता है। इससे प्रदेश के हाथकरघा एवं हस्तशिल्प की पहचान एवं इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों को एक समग्र बाजार विपणन हेतु प्राप्त होता है।

ब. निगम द्वारा प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में मध्यप्रदेश के मण्डप का निर्माण कर संचालन किया जाता है। इस वर्ष नई दिल्ली में दिनांक 14-27 नवम्बर, 2018 की अवधि में प्रगति मैदान में "रूरल इंटरप्राइजेस इन इंडिया" थीम के आधार पर भाग लिया गया।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 हेतु राशि रू. 90.00 लाख के बजट सीमा के समक्ष राशि रू. 81.00 लाख निगम को प्राप्त हुए। इस आयोजन में राशि रू. 55.66 लाख का व्यय हुआ।

स. निगम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बुनकरों/हस्तशिल्पियों/कारीगरों/उद्यमियों/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाईयों एवं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना/मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभान्वित इकाईयों एवं अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की इकाईयों द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट के निर्यात की संभावना के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मेलो/प्रदर्शनियों में भागीदारी की जाती है।

द. मध्यप्रदेश ट्रेड फेयर अथॉरिटी, भोपाल

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का गठन 12 अगस्त 2005 को राज्य शासन द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों की राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भागीदारी सुनिश्चित किये जाने हेतु किया गया है। प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को उनके उत्पादो के लिए निर्यात के अवसर सुलभ कराये जाने की दृष्टि से म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी द्वारा प्रदेश के उद्यमियों को केन्द्र सरकार

की विभिन्न योजनाओ के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भाग लेने हेतु वित्तीय सहायता सुलभ कराने हेतु मार्गदर्शक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत म.प्र. लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित की जा रही है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम के अंतर्गत म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी का कार्यालय एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल की स्थापना की गई है। इस कार्यालय द्वारा प्रदेश की निर्यात करने वाली इकाईयों को निर्यात के नए अवसर सुलभ कराए जाने की दृष्टि से आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। एक्सपोर्ट प्रमोशन सेल, प्रदेश के उत्पादों को दृष्टिगत रखते हुए विदेशो में उसकी मांग का आंकलन करना, गुणवत्ता मापदण्डो को ज्ञात कर उत्पादनकर्ता इकाईयों को अवगत कराना एवं निर्यात संबंधी नियमो आदि की जानकारी उपलब्ध करा सकेगा।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मेलो में भागीदारी के लिए वार्षिक कैलेण्डर तैयार करती है और इन मेलो में भागीदारी पर होने वाले व्यय के संबंध में वित्तीय योगदान पर निर्णय लेती है। अथॉरिटी द्वारा मेलो में भाग लेने वाले दल के सदस्यो का चयन कर उन्हें मेलों में भाग लेने हेतु सहयोग प्रदान किया जाता है, ताकि प्रदेश के उद्यमी राष्ट्रीय एवं अंर्तराष्ट्रीय बाजार में अपने उत्पादो के निर्यात के अवसर तलाश कर सकें।

म.प्र. लघु उद्योग निगम के प्रबंध संचालक अथॉरिटी के कार्यकारी के रूप में सदस्य सचिव नामांकित किए गए है।

म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी के सदस्य निम्नानुसार है :-

1. मंत्री, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग - अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, म.प्र. लघु उद्योग निगम - उपाध्यक्ष
3. उद्योग आयुक्त, म.प्र. भोपाल - सदस्य

4. प्रबंध संचालक, म.प्र. इण्डस्ट्रीयल डेवलमेंट कॉर्पोरेशन - सदस्य

5. प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम - सदस्य सचिव

इ. वर्ष 2018-19 में प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम इकाईयां तथा मुख्यमंत्री युवा उद्यमी के तहत लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग की इकाईयों द्वारा 64th Summer Fancy Food Show, New York (USA) में 30 जून, 2018 से 02 जुलाई, 2018 की समयावधि में भाग लिया गया। साथ ही दिनांक 08-16 सितम्बर, 2018 की समयावधि में आयोजित 83rd Thessaloniki International Fair (TIF), Thessaloniki, Greece में प्रदेश की सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम इकाई तथा मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक स्वरोजगार योजना के तहत लाभान्वित एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम अनुसूचित जाति वर्ग की इकाईयों द्वारा भाग लिया गया।

(3) कच्चा माल गतिविधि :-

निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को कच्चे माल का प्रदाय किया जा रहा है। इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सम्पूर्ण भारत में लौह इस्पात का एलोकेशन तथा उस पर मिलने वाला रिबेट देना बंद कर दिया गया है। साथ ही भारत सरकार की उदारीकरण की नीति, कच्चे माल पर से मूल्य नियंत्रण हटाए जाने, मुख्य उत्पादनकर्ताओं द्वारा इकाईयों को सीधे माल प्रदाय किये जाने, निजी क्षेत्र के उत्पाद बाजार में सस्ते दामों एवं उधारी पर उपलब्ध होने तथा निगम की प्रतिस्पर्धा में निजी वितरक नियुक्त होने आदि कई कारणों से कच्चा माल वितरण के व्यवसाय को जारी रखा जाना एक चुनौती पूर्ण कार्य है। इन सबके बावजूद इस गतिविधि के अन्तर्गत निगम द्वारा प्रदेश की लघु उद्योग इकाईयों को लौह, इस्पात आदि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से निगम के कच्चा माल भण्डार, इन्दौर, जबलपुर एवं ग्वालियर को बंद कर दिया है तथा एक मात्र कच्चा माल भण्डार भोपाल ही कार्यरत है। माह मार्च, 2019

तक इस गतिविधि के अन्तर्गत रु. 18.20 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रु. 38.71 करोड़ का व्यवसाय हुआ है।

(4) सम्पदा एवं निर्माण गतिविधि :-

निगम की स्थापना के समय शासन द्वारा प्रदेश के औद्योगिकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से निगम को प्रदेश में औद्योगिक क्षेत्रों के निर्माण तथा रख-रखाव का कार्य सौपा गया था, जिसका निगम द्वारा पूर्ण निष्ठा से निर्वहन किया गया। कालांतर में सरकार द्वारा यह कार्य अन्य सरकारी संस्थाओं को सौंपा गया। वर्तमान में निगम द्वारा राज्य शासन के एमएसएमई विभाग के निर्माण कार्य के साथ अन्य विभागों जिसमें अनुसूचित जनजाति विकास विभाग/अनुसूचित जाति विकास विभाग/पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग/ग्रामीण विकास पंचायत विभाग/स्कूल शिक्षा विभाग/स्वास्थ्य विभाग/खेल एवं युवा कल्याण विभाग/पशुपालन विभाग एवं केन्द्र शासन की केन्द्रीय नवोदय विद्यालय समिति के कार्य सम्मिलित है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 53.60 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 107.09 करोड़ का व्यवसाय हुआ है, जो कि लक्ष्य की तुलना में 200 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस गतिविधि के अन्तर्गत रू. 24.85 करोड़ निर्धारित। फरवरी, 2019 तक लक्ष्य रू. 22.15 करोड़ के प्ररिप्रेक्ष्य में रू. 37.62 करोड़ का व्यवसाय कर लिया गया, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 151.38 प्रतिशत है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में एमएसएमई विभाग के लगभग राशि रू. 50.00 करोड़ के कार्यों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस प्रकार क्लस्टर के लगभग राशि रू. 60.48 करोड़ के कार्यो की स्वीकृति जारी की जा रही है। गुरूकूलम में लगभग राशि रू. 135.00 लाख एवं एकलव्य में लगभग राशि रू. 5.77 करोड़ के कार्य प्राप्त हुये है एवं अन्य विभागो के कार्य प्राप्त होना संभावित है।

(5) टेस्टिंग लेब :-

निगम द्वारा इन्दौर एवं जबलपुर में परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही है। निगम की इन्दौर परीक्षण प्रयोगशाला को अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं जैसे एन.ए.बी.एल. (नेशनल अक्रेडीटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एण्ड केलीब्रेशन लेबोरटरीज), बी.आई.एस. (भारतीय मानक ब्यूरो), एफ.डी.ए. एगमार्क आदि से मान्यता प्राप्त है। परीक्षण प्रयोगशाला जबलपुर को भी आई.एस.ओ. 9001 एवं एन.ए.बी.एल. की मान्यता प्राप्त है। ये प्रयोशालाएं रॉ मटेरियल, निर्माण सामग्रियों, खाद्य तत्वों तथा औषधियों इत्यादि की जांच के लिए आवश्यक अनेक सुविधाओं से सम्पन्न है। ये प्रयोगशालाएं सरकारी एवं अर्ध सरकारी विभागों के लिए प्रमाणीकरण एजेंसी के रूप में भी कार्य करती है। वर्ष 2007-08 में भारत सरकार की 50 प्रतिशत "ग्रान्ट-इन-एड-योजना" अन्तर्गत दोनों प्रयोगशालाओं में लगभग रू. 65.00 लाख की लागत से अत्याधुनिक परीक्षण उपकरणों का क्रय किया जाकर सुविधाओं का आधुनिकीकरण किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक इस गतिविधि के अन्तर्गत लक्ष्य रू. 106.12 लाख के समक्ष रू. 110.96 लाख का राजस्व प्राप्त किया है।

(6) बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल :-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम केन्द्र शासन की कोयला वितरण नीति (NCDP-2007) के तारतम्य में, प्रदेश के MSME उद्यमियों को कोयला उपलब्ध कराने के लिये मध्यप्रदेश शासन द्वारा नामित एजेन्सी SNA है। निगम के 'बिजनेस डेव्हलेपमेंट सेल' (BDC) द्वारा यह गतिविधि संचालित की जाती है।

निगम में बिजनेस डेव्हलपमेंट सेल (BDC) का गठन वर्ष 2005 में हुआ था। तदनंतर वर्ष 2005-06 में लघु उद्योग निगम द्वारा कोयला कम्पनी से कोयला आवंटन प्राप्त कर प्रदेश की कोयला प्राप्त करने की इच्छुक

MSME इकाईयों के मध्य कोयले के वितरण का कार्य सफलतापूर्वक किया जाता रहा है। म.प्र. शासन, तत्समय वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, वर्तमान में औद्योगिक नीति एव निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के द्वारा परिपत्र क्रमांक एफ 13-3/05/अ-ग्यारह दिनांक 4/7/2008 के द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों (MSME) जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.ट. तक हो, को म.प्र. लघु उद्योग निगम के माध्यम से कोयले का वितरण करने हेतु प्रक्रिया एवं नीति लागू की गई थी, जिसका पालन करते हुए निगम के बी.डी.सी. विभाग द्वारा प्रदेश के इकाईयों को कोल का वितरण किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2005-06 से 2015-16 तक कोयला वितरण का कार्य निरन्तर जारी रहा, परन्तु बाजार में व्याप्त मंदी और अकस्मात मई, 2016 में कोयला कम्पनीज द्वारा ई-आक्शन के कोयले का मूल्य 20 प्रतिशत तक कम कर दिये जाने के कारण SNA के माध्यम से वितरित किये जाने वाले कोयले का मूल्य तुलनात्मक रूप से अधिक हो गया। इसके फलस्वरूप औद्योगिक इकाईयों ने वर्ष 2016-17 में SNA (म.प्र. ल.उ.नि.) के माध्यम से कोयला प्राप्त करने में रूचि नहीं ली।

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा SNA (म.प्र. ल.उ.नि.) के माध्यम से कोयला वितरण को प्रोत्साहित करने और उद्योगों को अधिक सुविधा प्रदान करने हेतु NCDP-2007 में संशोधन करते हुए उपरोक्त वार्षिक कोयले की खपत 4200 मे.ट. की सीमा को बढ़ा कर अब 10,000 मे.ट. कर दिया गया है। MSME इकाईयों के अतिरिक्त अन्य बड़े उद्योगों जिनकी वार्षिक कोयले की खपत 10000 मे.ट. तक है, को SNA के माध्यम से कोयला प्राप्त करने की पात्रता प्रदान की है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में इस गतिविधि के अन्तर्गत निरंक व्यवसाय हुआ है।

(7) वित्तीय परफारमेन्स :-

निगम की विगत पांच वर्षो की वित्तीय स्थिति निम्नानुसार हैः-

(रू. लाखों में)

क्र.	वर्ष	कुल व्यवसाय	+लाभ/-हानि
1	2014-15	100598.05	(+) 1631.48 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
2	2015-16	93832.38	(+) 2030.54 (कर पश्चात्) (अंकेक्षित)
3	2016-17	94232.57	(+) 1312.12 (कर पश्चात्) (अनअंकेक्षित)
4	2017-18	103921.88	(+) 1726.47 (कर पूर्व) (अनअंकेक्षित)
5	2018-19	95164.57	(+) 1107.94 (कर पूर्व) (अनअंकेक्षित)

निगम द्वारा वर्ष 2018-19 में माह मार्च, 2019 तक रू. 939.13 करोड़ के लक्ष्य के समक्ष रू. 951.64 करोड़ का व्यवसाय कर लगभग रू. 11.08 करोड़ का अनुमानित कर पूर्व लाभ (मासिक प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार) अर्जित किया गया है।

निगम के वर्ष 2015-15 के लेखे पूर्ण हो चुके हैं तथा प्रकाशन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। प्रकाशन उपरान्त लेखे विधानसभा सत्र में पटल पर रख दिए जायेंगे। वर्ष 2016-17 के लेखों का अनुपूरक अंकेक्षण कार्य शेष है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

क्षेत्र के उत्पादों के आयात-निर्यात तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करने तथा जन कल्याणकारी योजनाओं एवं उत्पादों के प्रचार-प्रसार की 'ग्वालियर व्यापार मेला' में प्रचुर संभावनायें हैं। वर्ष 1905 से स्थापित इस मेले ने व्यापार जगत में देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी खास पहचान बनाई है।

विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 14011-इक्कीस-अ (प्रा), दिनांक 30 दिसम्बर, 1996 के द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला के बेहतर प्रबन्धन तथा नियंत्रण के लिये 'ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, 1996'

प्रभावशील हुआ। इसके प्रावधान के अनुसार, मेला संचालन व नियंत्रण के लिये, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण निकाय गठित किया गया। म. प्र. शासन, तत्समय वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, वर्तमान में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, मंत्रालय, बल्लभ भवन भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-13-1/03/अ-ग्यारह दिनांक 28.12.2013 के अनुसार आयुक्त, ग्वालियर सम्भाग, ग्वालियर को ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण का अध्यक्ष नामांकित किया गया है।

आवश्यकतानुसार समय-समय पर प्राधिकरण की बैठकें आयोजित की जाती हैं। प्राधिकरण के निर्णयों और संकल्पों के अध्याधीन, मेला संचालन व उस पर नियंत्रण से सम्बन्धित समस्त गतिविधियों को अध्यक्ष समन्वित करते हैं और उन्हें लागू करते हैं। सचिव (शासकीय प्रतिनिधि) कार्यालय और अध्यक्ष/प्राधिकरण के बीच की प्रमुख कड़ी है, जो मेला आयोजन से लेकर कार्यालय तक, प्रत्येक स्तर पर प्रशासकीय व आर्थिक नियंत्रण के लिये तथा प्राधिकरण व अध्यक्ष के आदेशों/निर्देशों के अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है।

104 एकड़ के विस्तृत क्षेत्र में फैले मेला परिसर में 1400 दुकानें, 126 कोठरियां, 44 एम.बी., 37 डी सेक्टर तथा 82 दुकानें एस.टी. सेक्टर में शिल्प बाजार के सामने 100 नवीन दुकानें हैं। इन दुकानों के अलावा खुली भूमि तथा प्रदर्शनी स्थल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मोटे रूप में मेला परिसर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, व्यापारिक संस्थान, लगेज सेक्टर, दंगल सेक्टर, मनोरंजन सेक्टर, प्रदर्शनी तथा पशु मेला आदि क्षेत्रों में विभाजित है।

मेला परिसर में कई उद्यान विकसित हैं। मेला परिसर में कला मंदिर तथा कुसुमाकर रंगमंच हैं, जिनमें मेला अवधि में प्रतिदिन होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मेला परिसर में प्रशासनिक भवन स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो स्थाई एटीएम मेले के मुख्य गेट एवं गेट नं. 05 पर स्थापित हैं।

वर्ष 2018-19 में व्यापार मेले का आयोजन 01 जनवरी से 27 फरवरी तक किया गया है।

प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी मेला अवधि में विख्यात संस्थाओं द्वारा आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम यथा धार्मिक नाट्य, अखिल भारतीय मुशायरा और मुकाबला-ए-कव्वाली, राष्ट्रीय स्तर के अभिनेताओं/कलाकारों द्वारा रोचक प्रस्तुतियाँ दी गईं। सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में बाल महोत्सव का आयोजन किया गया। इसके अलावा बाल, स्कूली छात्र-छात्राओं, की आधुनिक रूचि के कार्यक्रम भी

आयोजित किये गये। जिसमें 08 दिवसीय बाल फिल्में आयोजित की गईं, साथ ही विकलांग ट्राई-साइकिल रेस का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण जनता की अभिरूचि के अनुसार इस वर्ष स्थानीय, जिला एवं राज्य स्तरीय कुश्ती दंगल प्रतियोगितायें आयोजित की गई। साथ ही इस वर्ष महिला कुश्ती दंगल प्रतियोगितायें भी आयोजित की गई। इस वर्ष मेले में शासकीय/अर्धशासकीय विभागों तथा अशासकीय संस्थाओं द्वारा ज्ञानवर्धक एवं आकर्षक प्रदर्शनियाँ लगाई गई।

इस वर्ष प्राधिकरण द्वारा मेंलें के 113 वर्षों की दुलर्भ छायाचित्र एवं इतिहास की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे सैलानियों द्वारा काफी सराहा गया।

मेला प्राधिकरण स्वतः एक विशुद्ध व्यापारिक निकाय है। इसके अधीन कोई कार्यालय या संस्था नहीं है।

मध्यप्रदेश राज्य वस्त्र निगम लिमिटेड

म. प्र. राज्य वस्त्र निगम की स्थापना अक्टूबर 1970 में प्रदेश की टेक्सटाईल मिलों के संचालन हेतु की गई थी। टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदेश की हाथकरघा गतिविधियों का संचालन किया गया। वर्ष 1995-96 से निरंतर घाटे में चलने के कारण राज्य शासन द्वारा निगम के समस्त कार्यकलाप दिनांक 31.10.2000 से बंद कर दिये गये।

निगम की स्थायी संपत्तिया उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, म.प्र. को जुलाई, 2015 में डीड ऑफ असाइनमेन्ट के माध्यम से हस्तांतरित कर दी गई। 31 मार्च, 2018 की स्थिति में निगम की संपत्ति एवं दायित्वों को डीड ऑफ असाइनमेन्ट के माध्यम से दिनांक 27.03.2018 को राज्य शासन को हस्तांतरित कर दी गई।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248(5) के तहत दिनांक 27.06.2018 को रजिस्टर से हटाते हुये कंपनी का विघटन कर दिया गया।

<u>भाग - दो</u>

<u>बजट विहंगावलोकन</u>

<u>उद्योग संचालनालय</u>

बजट नियंत्रण अधिकारी - उद्योग आयुक्त

बजट सारांश

(राशि लाख रू. में)

बजट शीर्ष		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
मांग संख्या - 35					
राजस्व अनुभाग	मतदेय	76904.85	76310.54	77320.11	71216.26
	भारित	2.02	0.00	28.76	26.74
पूंजी अनुभाग	मतदेय	24200.03	23800.12	7910.05	7093.74
योग (राजस्व + पूंजी)	**मतदेय**	101104.88	100110.66	85230.16	78310.00
	भारित	2.02	0.00	28.76	26.74
मांग संख्या - 41 (अनु. जनजाति)					
मतदेय		28.75	17.08	104.67	16.72
मांग संख्या - 64 (अनु. जाति)					
मतदेय		42.86	27.17	141.92	34.98
महायोग (35 + 41 + 64)	**मतदेय**	**101176.49**	**100154.91**	**85476.75**	**78361.70**
	भारित	2.02	0.00	28.76	26.74

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

निगम द्वारा अपनी गतिविधियों का संचालन स्वयं के स्त्रोतों से ही किया जाता है। निगम द्वारा प्रति वर्ष नई दिल्ली में आयोजित भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में शासन की ओर से भाग लिया जाकर म.प्र. के मण्डप का निर्माण कार्य एवं संचालन किया जाता है। "भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018" हेतु राशि रू. 90.00 लाख के बजट सीमा के समक्ष राशि रू. 81.00 लाख निगम को प्राप्त हुए। इस आयोजन में राशि रू. 55.66 लाख का व्यय हुआ। व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाणपत्र उद्योग संचालनालय को प्रेषित किया जा चुका है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

(राशि लाख रू. में)

विवरण	2016-17	2017-18	2018-19
सकल आय	497.37	541.39	598.02
सकल व्यय	411.13	428.49	500.04
लाभ	86.24	69.78	97.98

भाग - तीन

राज्य योजनाऍं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाऍं

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

(राशि लाख रू. में)

क्र.	योजना			वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
एक - राजस्व अनुभाग							
(अ) कार्यालयीन							
1	2851-1464	जिला उद्योग केन्द्र	मतदेय	5067.32	4935.10	6475.67	5922.32
			भारित	2.00	0.00	2.00	0.00
2	2851-3370	मध्यवर्ती कार्यालय	मतदेय	1333.66	1125.01	1516.21	1276.21
			भारित	0.01	0.00	0.01	0.00
3	2851-5815	परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालयों की स्थापना		297.52	246.61	253.30	223.40
4	2851-8732	इण्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन काउन्सिल का गठन		0.60	0.36	0.00	0.00
5	2851-6751	म.प्र. राज्य वस्त्र निगम के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही हेतु सहायता (मतदेय)		17.88	16.09	21.67	21.67
		53- डिक्रीधन का भुगतान (भारित)		0.01	0.00	26.75	26.74
6	2851-6758	राजकुमार मिल्स इंदौर के विधिक बंदीकरण की कार्यवाही बाबत		0.01	0.00	0.00	0.00

क्र.	योजना		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
7	2852-7300	स्व. श्री सुशीलचंद्र वर्मा पुरूस्कार योजना	0.01	0.00	0.01	0.00
8	2851-0725	औद्योगिक संस्थानों का संधारण	0.01	0.00	0.00	0.00
योग 2851		**मतदेय**	**6717.01**	**6323.17**	**8266.86**	**7443.59**
		भारित	**2.02**	**0.00**	**28.76**	**26.74**
(ब) राज्य योजनायें 2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग						
1	2851-6927	बीमार लघु उद्योगों के पुनर्जीवन की योजना	20.00	0.00	0.00	0.00
2	2851-7690	पावरलूम बुनकरों को रियायती दर पर विद्युत प्रदाय/ब्याज अनुदान	2001.01	2000.27	2740.01	1929.65
3	2851-1175	ग्रामीण उद्यमी विकास योजना प्रशिक्षण	117.20	7.20	0.00	0.00
4	2851-7028	पावरलूम बुनकरों के आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कार्य एवं आधुनिकीकरण	0.01	0.00	0.00	0.00
5	2851-7064	सूक्ष्म एवं लघु उद्यमियों हेतु वेन्डर डेवलपमेंट मार्केटिंग सपोर्ट	100.00	90.00	54.00	24.30
6	2851-6750	अधोसंरचना विकास	0.01	0.00	0.01	0.00
7	2851-7363	पुराने जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों का अनुरक्षण	50.00	50.00	0.00	0.00

क्र.	योजना			वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
				बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
8	2851-2124	एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना		15800.01	15800.00	17158.22	17118.21
9	2851-8808	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य		72.50	65.68	0.00	0.00
10	2851-5101	सीपेट को अधोसंरचना अनुदान		400.00	400.00	1200.00	900.00
11	2851-7432	अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रचार-प्रसार योजना		376.20	365.80	276.00	259.45
12	2851-6635	म.प्र. राज्य उद्योग निगम के विधिक बंदीकरण एवं परिसंपत्तियों का रखरखाव		66.00	53.74	0.01	0.00
13	2851-6646	म.प्र. ट्रेड फेयर अथॉरिटी को आर्थिक सहायता		10.00	10.00	0.01	0.00
14	2851-7215	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	0101	15346.50	15334.61	15920.00	14808.92
			0102	6071.25	6071.25	7000.00	6200.00
			0103	9057.14	9057.14	5000.00	5000.00
15	2851-7589	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	0101	13100.00	13081.68	10700.00	10124.89
			0102	4550.00	4550.00	5005.00	4752.25
			0103	3050.00	3050.00	3900.00	2555.00
16	2851-6819	विद्युत देयक प्रतिपूर्ति		0.01	0.00	0.00	0.00
17	2851-2373	इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप योजना		0.00	0.00	100.00	100.00
			योग	**70187.84**	**69987.37**	**69053.26**	**63772.67**
महायोग (अ) + (ब)			**मतदेय**	**76904.85**	**76310.54**	**77320.12**	**71216.26**
			भारित	**2.02**	**0.00**	**28.76**	**26.74**

क्र.	योजना		वर्ष 2017-18		वर्ष 2018-19	
			बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय
दो - पूंजी अनुभाग						
4851 - ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय						
1	4851-6749	भू-अर्जन सर्वे एवं डिमार्केशन (सर्विस चार्ज)	250.00	29.44	3300.01	3300.00
2	4851-6750	अधोसंरचना विकास	7000.01	6901.18	3960.01	3504.41
3	4851-5380	ऑटोमोबाईल्स टेस्टिंग ट्रेक हेतु भू-अर्जन मुआवजा	16050.01	16050.00	0.01	0.00
4	4851-7340	नवीन जिला उद्योग केन्द्रों के भवनों का निर्माण	300.00	300.00	350.00	279.47
5	4851-0735	एग्जीबिशन सेण्टर की स्थापना	200.00	200.00	0.00	0.00
6	4875-6820	क्लस्टरो की स्थापना	300.00	300.00	300.00	9.86
7	4875-7627	मिनीटूल रूम की स्थापना	0.01	0.00	0.00	0.00
8	4875-6481	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को अनुदान	100.00	19.50	0.02	0.00
योग पूंजी अनुभाग (मतदेय)			**24200.03**	**23800.12**	**7910.05**	**7093.74**
मांग संख्या - 41 आदिवासी क्षेत्र उपयोजना						
1	2851-7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	28.75	17.08	104.67	16.72
मांग संख्या - 64 अनुसूचित जाति उपयोजना						
1	2851-7891	रानी दुर्गावती सहायता योजना	42.86	27.17	141.92	34.98
महायोग (मांग संख्या 35 + 41 + 64)		**मतदेय**	**101176.49**	**100154.91**	**85476.76**	**78361.70**
		भारित	**2.02**	**0.00**	**28.76**	**26.74**

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

लेदर इंक्यूबेशन सेंटर, देवास

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ASPIRE (A Scheme for Promotion of Innovation Rural Industry & Entrepreneurship) के अन्तर्गत देवास मध्यप्रदेश में लेदर इंक्यूबेशन सेण्टर औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, देवास के औद्योगिक क्षेत्र क्र.-2 स्थित प्रशासकीय भवन में स्थापित किया गया है।

उक्त योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के देवास स्थित जिले में लेदर इक्यूंबेशन सेण्टर से 05 वर्ष की अवधि में 300 उद्यमियों तथा 2000 स्किल्ड मेन पॉवर के लिए प्रशिक्षण दिया जाने का प्रावधान है। इसके फलस्वरूप क्षेत्र में रोजगारन्मुखी योजना प्रारम्भ होगी एवं लेदर इक्यूंबेशन सेण्टर के माध्यम से स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे प्रदेश में लेदर क्षेत्र में रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। वर्तमान में इस केन्द्र में स्किल्ड मेन पावर के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना हेतु भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (MSME) मंत्रालय द्वारा राशि रू. 90.20 लाख प्रदान की गई है तथा उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश से राशि रू. 71.12 लाख प्राप्त हुई है।

लेदर इक्यूंबेशन सेंटर का शुभारम्भ दिनांक 30.01.2017 को किया गया। सेण्टर के सुचारू रूप से संचालन करने हेतु म.प्र. लघु उद्योग निगम, एफ.डी.डी.आई, बन्थर, जिला उन्नाव (उ.प्र.) तथा टाटा इंटरनेशनल लिमिटेड, देवास के मध्य त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादित किया गया है।

सेण्टर में दिनांक 01.02.2017 से प्रशिक्षण दिया जाना प्रारंभ हो गया है। एफ.डी.डी.आई. द्वारा इस केन्द्र में 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक 413 व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया एवं 212 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ।

भारत सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग की एस्पायर योजना के अन्तर्गत कटनी (म.प्र.) में एक Livelihood Based Incubation Centre स्थापित किए जाने की स्वीकृति भारत सरकार की ओर से प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत कटनी में फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर बढ़ाने के उद्देश्य से एक फूड प्रोसिसिंग इक्यूबेशन सेण्टर स्थापित किया जायेगा।

भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय द्वारा वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में क्षमता विनिर्माण एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाने हेतु Scheme for capacity Building in Textile

Sector (SCBTS), जिसे समर्थ नाम दिया गया है, हेतु निगम द्वारा आर.एफ.पी. में भाग लिया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित युवा/युवतियों में से 70% तक व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य किया गया है। भारत सरकार की ओर से योजना का अनुमोदन प्रतिक्षित है।

<u>ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण</u>

व्यवसाय, औद्योगिक उत्पादन, प्रोजेक्ट्स व संबंधित सेवाओं के संवर्धन व विकास के लिये आयात-निर्यात हेतु मध्य प्रदेश एक्सपोर्ट फेसिलिटेशन सेन्टर, मेला परिसर में स्थित है। इसमें केन्द्रीय व राज्य के शासकीय व अशासकीय संस्थानों के आयोजन वर्ष भर किये जाते हैं। मेला अवधि में अग्रणी व्यापारिक संस्थायें अपने संयुक्त स्टॉल्स लगाते हैं। इससे आय का यही स्रोत मेला प्राधिकरण को है।

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

विभाग स्तर

समयमान वेतनमान

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	एफ 115/2016/बी-तेहत्तर, दिनांक 04.04.2018	01 महाप्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
2	एफ 1-4/2016/बी-तेहत्तर, दिनांक 28.04.2018	04 सहायक संचालक/प्रबंधक को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
3	एफ 1-32/2018/बी-तेहत्तर, दिनांक 18.06.2018	01 संयुक्त संचालक को सहायक संचालक पद का द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत

नियुक्तियां

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	एफ 1-111/2017/बी-तेहत्तर, दिनांक 05.01.2018	01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
2	एफ 1-6/2018/बी-तेहत्तर, दिनांक 24.01.2018	12 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक के नियुक्ति आदेश जारी किये गये।
3	एफ 1-111/2017/बी-तेहत्तर, दिनांक 24.03.2018	01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
4	एफ 1-111/2017/बी-तेहत्तर, दिनांक 15.05.2018	01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।
5	एफ 1-111/2017/बी-तेहत्तर, दिनांक 25.05.2018	01 सहायक संचालक उद्योग/प्रबंधक का नियुक्ति आदेश जारी किया गया।

विभागीय जाँच/लोकायुक्त प्रकरण

विवरण	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिनमें अंतिम निर्णय लिए गए	लंबित प्रकरणों की संख्या
विभागीय जाँच प्रकरण	07	00	07
अपील प्रकरण	04	00	04
लोकायुक्त प्रकरण	03	00	03

सूचना का अधिकार

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत विभाग स्तर पर वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 25 आवेदन पत्र प्राप्त हुये, जिनमें से समस्त आवेदनों का निराकरण किया गया।

(ii) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल 04 अपीले प्राप्त हुई, जिनमें से समस्त अपीलों का निराकरण किया गया है।

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

समयमान वेतनमान

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
1	38/स्था/(1-ब)/2018/555, दिनांक 23.04.2018	01 स्टेनो टायिपस्ट को प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृत
2	09/स्था/(1-ब)/2010/420, दिनांक 12.06.2018	07 सहायक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
3	32/स्था/(1-ब)/2009/421, दिनांक 12.06.2018	05 सहायक प्रबंधकों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत

क्रमांक	आदेश क्रमांक एवं दिनांक	किये गये कार्य का विवरण
4	11/स्था/(1-ब)/2010/567, दिनांक 28.08.2018	01 सहायक वर्ग-2 को समयमान वेतनमान स्वीकृत
5	39/स्था/(1-ब)/2018/579, दिनांक 10.09.2018	07 शीघ्रलेखक वर्ग-3 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
6	39/स्था/(1-ब)/2018/580, दिनांक 01.09.2018	01 सहायक वर्ग-3 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
7	39/स्था/(1-ब)/2018/581, दिनांक 01.09.2018	03 सहायक वर्ग-2 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
8	39/स्था/(1-ब)/2018/582, दिनांक 01.09.2018	06 सहायक वर्ग-2 को तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
9	39/स्था/(1-ब)/2018/583, दिनांक 01.09.2018	01 सहायक वर्ग-2 को प्रथम एवं द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
10	39/स्था/(1-ब)/2018/584, दिनांक 01.09.2018	07 भृत्यों को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत
11	11/स्था/(1-ब)/2010/684, दिनांक 12.11.2018	01 सहायक वर्ग-1 को द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृत

नियुक्तियां

- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 218, दिनांक 31.03.2018 द्वारा अनुसूचित जनजाति के 01 तथा अनुसूचित जनजाति बैंकलॉग के 01 उम्मीदवार को सहायक प्रबंधक पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 64, दिनांक 27.01.2018, संशोधित आदेश क्रमांक 105, दिनांक 27.02.2018 द्वारा 01 अनारक्षित महिला उम्मीदवार को सहायक वर्ग-3 पद पर नियुक्ति प्रदान की गई।
- उद्योग संचालनालय म.प्र. के आदेश क्रमांक 65, दिनांक 27.01.2018 द्वारा 01 अनुसूचित जाति बैंकलॉग उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान की गई।

- उद्योग संचालनालय म.प्र. द्वारा 07 अनुकम्पा नियुक्ति के आदेश जारी किये गये।

विभिन्न संवर्गो में पदों की स्थिति (31.03.2019 की स्थिति में)

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
प्रथम श्रेणी			
01	उद्योग आयुक्त	01	01
02	संचालक	01	00
03	अपर संचालक, उद्योग	6 = (3 + 3)	02
04	संयुक्त संचालक, उद्योग	16 = (8 + 8)	04
05	संयुक्त संचालक, वित्त	01	01
06	महाप्रबंधक/उप संचालक उद्योग	72 = (58 + 14)	49
	योग	**97**	**57**
द्वितीय श्रेणी			
01	प्रबंधक/सहायक संचालक	227 = (212+15)	154
02	प्रशासकीय अधिकारी	01	00
03	वरिष्ठ निज सहायक	09	02
04	लेखा अधिकारी	01	00
	योग	**238**	**156**
तृतीय श्रेणी			
01	सहायक प्रबंधक	330	247
02	अधीक्षक	08	02
03	सहायक अधीक्षक	03	03
04	सहायक वर्ग-1	60	40
05	सहायक वर्ग-2	159	124
06	सहायक वर्ग-3	268	196

क्रमांक	पदनाम	स्वीकृत पद (विभाग + प्रतिनियुक्ति)	कार्यरत पदों की संख्या
07	कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	02
08	सहायक आंतरिक लेखा अधिकारी	05	03
09	कनिष्क लेखा परीक्षक	05	03
10	लेखापाल	64	15
11	निज सहायक	26	07
12	शीघ्रलेखक	79	57
13	स्टेनोटायपिस्ट	90	16
14	वाहन चालक	63	24
15	मिस्त्री (सांख्येत्तर पद)	01	01
	योग	**1163**	**740**
चतुर्थ श्रेणी			
01	सुपरवाइजर	02	00
02	जमादार	01	00
03	दफतरी	01	00
04	भृत्य	228	164
05	चौकीदार	69	33
	योग	**301**	**197**
	महायोग	**1799**	**1150**

स्थानांतरण

वर्ष 2018-19 में दिसम्बर, 2018 तक स्थानांतरण की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	पदनाम	प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण	स्वयं के व्यय पर स्थानांतरण
1	अपर/संयुक्त/महाप्रबन्धक (प्रथम श्रेणी)	05	03
2	प्रबन्धक (द्वितीय श्रेणी)	04	16
3	सहायक प्रबंधक (कार्यपालिक तृतीय	02	16

क्र.	पदनाम	प्रशासकीय आधार पर स्थानांतरण	स्चयं के व्यय पर स्थानांतरण
	श्रेणी)		
4	तृतीय श्रेणी	02	17
5	चतुर्थ श्रेणी	00	02

<u>पदक्रम सूची</u>

1. विभिन्न संवर्ग के प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी राजपत्रित अधिकारियों की दिनांक 1 अप्रेल, 2017 की स्थिति दर्शाने वाली पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।
2. अराजपत्रित संवर्ग तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की 1 अप्रेल, 2018 की स्थिति दर्शानें वाली पदक्रम सूची में अधीक्षक, सहायक अधीक्षक, निज सहायक, सहायक वर्ग - 1, सहायक वर्ग - 2, शीघ्रलेखक, स्टेनोटायपिस्ट, लेखापाल, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जुनियर ऑडिटर व मिस्त्री की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।
3. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की 1 अप्रेल, 2018 की स्थिति दर्शानें वाली पदक्रम सूची में चौकीदार, जमादार, एवं दफ्तरी की पदक्रम सूची जारी हो चुकी है।

<u>पेंशन संबंधी जानकारी</u>

(01 अप्रेल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की स्थिति)

क्र.	श्रेणी	पूर्व वर्षो के लंबित प्रकरण	वर्ष 2018-19 में प्राप्त प्रकरण	कुल प्रकरणों की संख्या	निराकृत प्रकरणों की संख्या	शेष लंबित प्रकरणों की संख्या
1	प्रथम	01	00	01	00	01
2	द्वितीय	01	00	01	00	01
3	तृतीय	02	02	04	02	02
4	चतुर्थ	00	05	05	03	02
	योग	**04**	**07**	**11**	**05**	**06**

<u>वर्ष 2018-19 में आयोजित प्रशिक्षण</u> :-

विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से 01.01.2018 से 31.01.2019 तक लगभग 271 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

<u>विभागीय जांच</u>

क्रमांक	श्रेणी	प्रकरणो की संख्या	निराकृत प्रकरण	लंबित प्रकरण
1	प्रथम श्रेणी	04	00	04
2	द्वितीय श्रेणी	01	00	01
3	तृतीय श्रेणी	06	03	03

<u>न्यायालयीन प्रकरण</u>

उद्योग संचालनालय में 31 मार्च, 2019 तक विभिन्न न्यायालयों में कुल 335 न्यायालयीन प्रकरण प्रचलित है, जिनमें से अधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित 60 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित है।

<u>लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी</u>

लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 में शामिल विभागीय सेवाओं (एमएसएमई प्रोत्साहन योजना अंतर्गत पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, प्रवेश कर मुक्ति एवं वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की स्वीकृति, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना अंतर्गत आवेदन के पूर्ण/अपूर्ण की जानकारी प्रदान करना व उसे सक्षम समिति से निर्णीत कराना) के आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है।

<u>सूचना का अधिकार</u>

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत उद्योग संचालनालय द्वारा विभागीय मैन्यूअल जारी किया गया है। अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिये अपेक्षित कार्यवाही की गई है एवं प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में 11 अपीलें प्राप्त हुई, जिनमें समस्त अपीलें निराकृत की गई तथा इसी अवधि में सूचना के अधिकार अंतर्गत 85 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 80 आवेदन निराकृत किए गए।

सिटीजन चार्टर

परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के कार्यकलापों के संबंध में समय-सीमा निर्धारित करने के संबंध में सिटीजन चार्टर भी लागू किया गया है।

ऑडिट

दिनांक 31.03.2019 की स्थिति में महालेखाकार ग्वालियर, मध्यप्रदेश की 199 कण्डिकाए निराकरण हेतु उद्योग संचालनालय, म.प्र. के अंतर्गत शेष है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र. लघु उद्योग निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत कम्पनी के रूप में पंजीकृत है। निगम का संचालन निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स आफ एसोसियेशन के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में संचालक मण्डल की मार्च, 2019 तक 04 बैठके आयोजित हो चुकी हैं। कार्यालयीन कार्यों को समय सीमा में निपटाने हेतु निगम में सिटीजन चार्टर लागू किया गया हैं।

शासन के निर्देशानुसार निगम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील किया गया है। निगम के अधीनस्थ सभी कार्यालयों से लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी एवं मुख्यालय पर अपीलीय अधिकारी एवं लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई हैं। मुख्यालय, भोपाल में वर्ष 2018-19 में 103 आवेदन प्राप्त हुये है, जिसमें से 101 का निराकरण किया जा चुका हैं।

आलोच्य अवधि में राज्य विधानसभा द्वारा निगम से सम्बंधित कोई विधेयक पारित नहीं किया गया है। वर्ष 2018-19 में निगम से संबंधित विधानसभा के 18 प्रश्न प्राप्त हुए, जिनके उत्तर निर्धारित समयावधि में राज्य शासन को प्रेषित किये गये। माह मार्च, 2019 तक निगम के कुल 135 न्यायालयीन प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लंबित/विचाराधीन हैं।

निगम में कुल 249 नियमित अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं। निगम में 11 अधिकारी एवं कर्मचारी संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

- तत्समय वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, वर्तमान में औद्योगिक नीति एव निवेश प्रोत्साहन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ 11-10/11/बी/2001 दिनांक 28.03.2002 द्वारा मेला परिसर की 15 एकड़ भू-भाग एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क एवं फेमिली रि-क्रियेशन सेन्टर निर्माण हेतु 15 वर्षीय पट्टे पर आबंटित की गई थी, जिसकी अवधि अक्टूबर, 2018 में समाप्त हो चुकी है।
- वर्ष 2018-19 में मेलें में ऑटोमोबाईल सेक्टर में विक्रय होने वाले वाहनों पर 50 प्रतिशत की छूट राज्य शासन द्वारा प्रदान की गई, जिससें ऑटोमोबाईल सेक्टर में 405 करोड़ का व्यापार हुआ।
- मेला परिसर में इस वर्ष प्राधिकरण द्वारा 50 नवीन दुकानों, 20 लाख रूपयें की लागत से एक बड़ा सुलभ कॉम्प्लेक्स, 27 लाख रूपयें की लागत से 08 छोटे सुलभ कॉम्प्लेक्स एवं यूरिनल का निर्माण, 8 लाख रूपयें की लागत से 5 नलकूप खनन कार्य और 17 लाख रूपयें की लागत से रंगाई व पुताई कार्य कराया गया।
- विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी के लिये अभिभाषकों की सेवायें ली जा रही है।

भाग-पांच

अभिनव योजना

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017 :- राज्य के समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017 जारी की गई है, जो 1 अप्रेल, 2018 से प्रभावशील है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नीति अंतर्गत सहायता/सुविधा प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017" लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल रखी गई है। योजना अंतर्गत सहायता स्वीकृत करने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सहायता समिति गठित की गई है। योजना अंतर्गत इकाईयों को उद्योग विकास अनुदान, इकाई परिसर तक अधोसंरचना विकास हेतु सहायता, अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों हेतु सहायता, निजी औद्योगिक क्षेत्रों तथा बहुमंजिला औद्योगिक परिसर की स्थापना/ विकास हेतु सहायता, अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) में योगदान की प्रतिपूर्ति, गुणवत्ता प्रमाणीकरण के लिए प्रतिपूर्ति, पेटेंट/आईपीआर के लिए प्रतिपूर्ति और पॉवरलूम उन्नयन हेतु सहायता प्रदान की जा रही है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

- म.प्र. लघु उद्योग निगम में नवीन ऑनलाईन इण्डेंट तथा सप्लाई आर्डर जारी किये जाने संबंधी व्यवस्था दिनांक 01.10.2015 से लागू की गई है।
- निगम द्वारा वेबसाईट www.mpsme.in प्रारम्भ की गई, जिसमें प्रदेश के मुख्य निर्यातकों की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है।
- निगम द्वारा भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग, मंत्रालय की इण्डस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन स्कीम के अंतर्गत जबलपुर में रू. 6075.72 लाख की लागत से रेडीमेड गारमेंन्ट काम्पलेक्स की स्थापना की कार्यवाही प्रगति पर है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा पूर्ण मेला अवधि में शिल्प बाजार का आयोजित किया गया, जिसमें 100 से अधिक शिल्पियों ने अपने हाथ से बनाये हुये सामान का विक्रय किया। इससे मेलें को राशि 12 लाख रूपये की आय प्राप्त हुयी।

प्राधिकरण द्वारा माह मई-जून 2018 में एक माह के लिये बढ़े स्तर पर ग्रीष्मकालीन समर नाईट मेलें का आयोजन किया गया। उक्त मेलें की सैलानियों ने अत्यधिक सराहना की।

प्राधिकरण द्वारा माह अक्टूबर, 2018 में दीपावली के अवसर पर 10 दिवसीय डिस्काउंट मेलें का आयोजन किया गया।

<u>भाग - छः</u>

विभाग द्वारा निकाले जा रहे प्रकाशन

<u>उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश</u>

विभागीय महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम/निर्देशों की विस्तृत जानकारी संबंधित नियम/अधिनियम/निर्देश की नीचे उल्लेखित लिंक पर उपलब्ध है :-

1. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MSMED_Act.pdf

2. म. प्र. एमएसएमई विकास नीति 2017

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MSME_Development_Policy_2017.pdf

3. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Incubation_&_Startup_Policy_2016.pdf

4. म. प्र. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम फेसिलिटेशन काउन्सिल नियम 2017

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/Micro%20and%20Small%20Enterprises%20Council%20Rules%20English.pdf

5. म. प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015

   https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Land_Rules_2015.pdf

6. म. प्र. भण्डार क्रय एवं सेवा उपार्जन नियम 2015

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Purchase_Rules_2015.pdf

7. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की लोक सेवा के प्रदान करने की गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित सेवाए

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MSME_Lok_sewa.pdf

8. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना एवं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की मार्गदर्शिका

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MMYUY_&_MMSY_New_Guidelines.pdf

9. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/PMEGP.pdf

10. एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2017

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MSMEP_Scheme_2017.pdf

11. म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप योजना 2016

https://mpmsme.gov.in/mpmsmecms/Uploaded%20Document/Documents/MP_Incubation_Startup_Promotion_Scheme_2016.pdf

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण द्वारा ग्वालियर मेला गाईड 2019 का प्रकाशन किया गया।

भाग - सात

सारांश

उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश

उद्योग संचालनालय, प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने तथा स्थापित एमएसएमई को विभिन्न अनुदान/वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। उद्यमियों को प्रशिक्षण देकर उद्योगों को सुदृढ़ करने का व उद्योग स्थापना हेतु प्रोत्साहित करने का कार्य करता है।

विभाग द्वारा प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों को विभिन्न स्वरोजगार योजना जैसे- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत स्वरोजगार के अवसर सृजित किये जाते हैं। प्रदेश के सर्वांगीण व समुचित औद्योगिक विकास हेतु मध्य प्रदेश म. प्र. एमएसएमई विकास नीति, 2017, मध्यप्रदेश इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति, 2016 एवं मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 क्रियान्वित किये जा रहे है।

विभाग द्वारा उद्योगों को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए वित्तीय व्यवस्था को आसान व सुलभ बनाया जाना, स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए स्थानीय संसाधन एवं स्थानीय कौशल के दोहन पर विशेष बल दिया जाना, प्रदेश के भीतर और दूसरे प्रदेशों के साथ बाजारों की नेटवर्किंग की जाना, उद्योग एवं औद्योगिक विकास के उन्नयन की व्यवस्था तथा गैर कृषि ग्रामीण उद्यमिता को सम-उन्नत, संरक्षित और प्रोत्साहित करने के लिए अभियान चलाये जाने का भी कार्य किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड

म.प्र.लघु उद्योग निगम, लघु उद्योगों के हितों के संरक्षण एवं विकास में निरन्तर संलग्न है। निगम लघु उद्योगों को विपणन सुविधा उपलब्ध कराकर तथा उन्हें कच्चे माल की आपूर्ति कर के उनके उत्थान में सतत प्रयत्नशील है। निगम द्वारा प्रदेश में तथा प्रदेश के बाहर स्थित अपने एम्पोरियमों के माध्यम से बुनकरों

तथा हस्तशिल्पियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के प्रदर्शन एवं विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। निगम द्वारा चंदेरी, महेश्वरी, कोसा इत्यादि साड़ियां बड़ी मात्रा में सीधे बुनकरों से क्रय कर उन्हें कम से कम अवधि में भुगतान कर उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं के विपणन की समस्या को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया जाता है। निगम का तकनीकी विभाग लघु उद्योग इकाईयों के उत्पादों के परीक्षण व इनकी गुणवत्ता नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। म.प्र. लघु उद्योग निगम निरन्तर अपनी 'उत्पादकता' बढ़ाने में प्रयासरत है।

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण

प्राधिकरण का यह मेला, राष्ट्रीय स्तर का मेला है, जो देश के अन्य प्रदेशों में भी अत्यंत लोकप्रिय है। मेला आयोजन के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के, अति-आकर्षक एवं सराहनीय होते हैं।

भाग - आठ

महिलाओं के लिये किये गये कार्य

- **स्टार्टअप को सहायता :-**

म. प्र. इंक्यूबेशन एवं स्टार्टअप नीति 2016 अंतर्गत महिला उद्यमियों द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले स्टार्टअप को अतिरिक्त ब्याज अनुदान एवं किराया अनुदान का प्रावधान है।

- **स्वरोजगार योजनाए :-**

उद्योग संचालनालय अंतर्गत महिलाओ के आर्थिक उन्नयन एवं रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से संचालित विभिन्न रोजगार मूलक योजनाओ के तहत महिलाओं को भी लाभान्वित किया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान का प्रावधान है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनान्तर्गत महिलाओं हेतु 1 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान और सामान्य आवेदक की तुलना में दोगुनी मार्जिन मनी सहायता का प्रावधान है।

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2018-19 में लाभांवित महिलाओं की संख्या
1	मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना	291
2	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना	5520
3	मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना	66
	योग	**5877**

- **महिला प्रकोष्ठ का गठन :-**

विभाग द्वारा संचालित योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी अधिकाधिक हो इस हेतु जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्रों में महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।

ꕥꕥꕥ

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को फेसिलिटेशन काउंसिल, स्टार्टअप एवं जेम हेतु किये गये उत्कृष्ट कार्यो हेतु पुरूस्कृत किया गया

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH